माननीय सदस्यगण,

पन्द्रहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र को सम्बोधित करते हुये मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है। मैं प्रदेशवासियों को राज्य में विधान सभा के निर्विघ्न और शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न चुनाव के लिये हार्दिक बधाई देता हूं।

2. मैं, नव निर्वाचित विधायकगण का विधान सभा में स्वागत करता हूं एवं आप सभी को निर्वाचित होने पर बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि आप सब मिलकर प्रदेश को विकास के शिखर पर ले जाएंगे और आमजन के विश्वास पर खरा उतरेंगे। इस सदन के माध्यम से मैं समस्त प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। नववर्ष सभी के लिये मंगलमय और प्रसन्नता से परिपूर्ण हो।

3. इस वर्ष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की एक सौ पचासवीं जयन्ती मनायी जा रही है। नयी सरकार गांधी जी के सिद्धान्तों एवं आदर्शों को आत्मसात कर आमजन की सेवा के लिये प्रतिबद्ध होकर कार्य करेगी।

4. प्रदेश की जनता ने पन्द्रहवीं विधान सभा के लिये हुये चुनाव में, जन घोषणा–पत्र में अपना विश्वास प्रकट कर नयी सरकार को जनादेश देकर सेवा का

अवसर प्रदान किया है। वर्तमान सरकार प्रदेश को संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन प्रदान करने के लिये संकल्पबद्ध है। सरकार प्रदेश में शांति, सौहार्द और सद्भावना का वातावरण बनाकर विकास के नये कीर्तिमान स्थापित करने के लिये तत्परता और मनोयोग से कार्य करेगी।

5. हम जनता के ट्रस्टी के रूप में प्रदेश के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुये पूर्ण पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ प्रदेश की जनता की भलाई एवं विकास के लिए कार्य करेंगे। हमारा उद्देश्य प्रदेश को खुशहाल बनाकर यहां के नागरिकों के जीवन स्तर को समृद्ध बनाना है।

6. लोकतंत्र में आम नागरिक का कल्याण निर्वाचित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। गत सरकार अपनी पूर्ववर्ती सरकार की कमियां ढूंढने जैसे निरर्थक मुद्दों में भटक गयी। परिणामस्वरूप वर्ष 2009–10 से 2013–14 की अवधि में स्थिर मूल्यों पर वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धि दर 8.16 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014–15 से 2017–18 की अवधि में मात्र 7.19 प्रतिशत रह गयी।

7. राज्य में प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय में औसत वृद्धि वर्ष 2009–10 से 2013–14 की अवधि में 14.95 प्रतिशत थी जो वर्ष 2014–15 से 2017–18 की अवधि में घट कर मात्र 9.68 प्रतिशत रह गयी।

8. इसी प्रकार वर्ष 2008–09 में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 4.19 प्रतिशत थी जो बढ़कर वर्ष 2013–14 के अंत में 8.94 प्रतिशत हो गयी थी। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान कृषि क्षेत्र में अपनायी गयी गलत नीतियों के कारण कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर वर्ष 2017–18 में घटकर 3.95 प्रतिशत रह गयी।

9. राज्य में कुल ऋण एवं दायित्व वर्ष 2013–14 में 1 लाख 29 हजार 910 करोड़ रुपये का था। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान हुये आर्थिक कुप्रबंधन एवं अदूरदर्शी नीतियों के कारण कुल ऋण एवं दायित्व बढ़कर वर्ष 2018–19 में 3 लाख 8 हजार 34 करोड़ रुपये होना अनुमानित है। गत सरकार के कार्यकाल के दौरान राजकोषीय घाटा लगातार 3 प्रतिशत से अधिक रहा। इसी प्रकार वर्ष 2013–14 में राज्य में प्रति व्यक्ति कुल ऋण एवं

दायित्व लगभग 18 हजार 263 रुपये से बढ़कर वर्ष 2018–19 में 40 हजार 308 रुपये होना अनुमानित है।

10. हमारी सरकार की प्रतिबद्धता प्रदेश की जनता के प्रति है। सम्पूर्ण शक्ति और सामर्थ्य के साथ प्रदेश का सर्वांगीण विकास ही हमारा लक्ष्य है। सरकार ने जन घोषणा–पत्र को नीतिगत दस्तावेज के रूप में अंगीकृत कर आमजन से किये गये वादों को पूरा करने के साथ ही उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाये हैं। यह नीतिगत दस्तावेज वर्तमान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। सभी विभागाध्यक्षों को 100 दिवसीय कार्य योजना बनाकर विकास की रूपरेखा बनाने के निर्देश दिये गये हैं।

11. किसान हमारी खुशहाली का आधार है। गत सरकार ने किसानों के 8 हजार करोड़ रुपये की कर्जमाफी की घोषणा में से मात्र 2 हजार करोड़ की ही राज्यमद से सहायता की। वर्तमान सरकार ने पहला फैसला किसानों को समर्पित किया। किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिये राज्य सरकार ने

जन घोषणा–पत्र पर तुरंत अमल करते हुये सहकारी बैंकों के निर्धारित मापदण्डानुसार पात्र पाये गये ऋणी किसानों के 30 नवम्बर, 2018 की स्थिति में समस्त बकाया अल्पकालीन फसली ऋण माफ करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके साथ ही सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वे सभी कृषक, जो आर्थिक रूप से संकटग्रस्त हैं और अपना ऋण नहीं चुका पा रहे हैं, उनका राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पात्र पाये जाने पर दिनांक 30 नवम्बर, 2018 की स्थिति में 2 लाख रुपये की सीमा तक का कालातीत/ अवधिपार अल्पकालीन फसली ऋण माफ किये जाने का निर्णय लिया गया है।

12. प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये जाने की योजना है। किसानों की ऋण माफी इसकी शुरुआत है। सरकार किसानों को आर्थिक संकट से राहत दिलाने के साथ ही उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में संकल्पबद्ध होकर काम करेगी।

13. किसानों को कृषि के लिये आसान ऋण उपलब्ध कराने के साथ ही फसल बीमा हेतु प्रभावी कदम

उठाने की कार्यवाही की जा रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद तथा विभिन्न कारणों से हुये फसल खराबे की इनपुट सब्सिडी देने की व्यवस्था की जायेगी।

14. कृषि विपणन प्रणाली को प्रभावी और सशक्त बनाने के साथ ही जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने के लिये भी कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है। कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिये प्रमाणित बीज व खाद की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। प्याज, लहसुन, ग्वार तथा कपास जैसी फसलों के निर्यात एवं बागवानी को बढ़ावा देने के लिये प्रभावी कदम उठाये जायेंगे।

15. प्रदेश के कई किसानों द्वारा गत वर्षों में आत्महत्या जैसे दुर्भाग्यपूर्ण कदम उठाये गये हैं। वर्तमान सरकार किसानों को आर्थिक संबल प्रदान कर यह प्रयास करेगी कि भविष्य में कोई भी किसान अपनी आर्थिक मजबूरी के कारण आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठाये।

16. अकाल की विभीषिका से किसानों को बचाकर बेहतर राहत प्रबंधन के लिये अकाल राहत कोष को और

सुदृढ़ किया जायेगा। खरीफ सम्वत् 2075 में सूखे से प्रभावित 9 जिलों की 58 तहसीलों के 5 हजार 555 गांवों को गंभीर एवं मध्यम सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। प्रभावित गांवों के लगभग 17 लाख किसानों को 1 हजार 752 करोड़ रुपये कृषि अनुदान का वितरण त्वरित गति से किया जायेगा।

17. इस वर्ष राज्य में कमजोर मानसून की स्थिति वाले क्षेत्रों में रोजगार, पेयजल व पशुओं के चारे की व्यवस्था आदि के लिये आवश्यकतानुसार व्यापक प्रबंध किये जायेंगे। प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राहत उपलब्ध कराने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

18. प्रदेश के किसानों के हित के लिये राजस्व सम्बन्धी कानूनों का सरलीकरण करने के लिये कार्यवाही की जायेगी। राजस्व प्रकरणों के त्वरित निस्तारण को विशेष प्राथमिकता दी जायेगी। राज्य की समस्त तहसीलों में जमाबंदियों में शुद्धिकरण व नक्शों में तरमीम कार्य पूर्ण कर भू–अभिलेख को ऑनलाइन किया जायेगा।

19. प्रदेश में पशुपालन व डेयरी से स्वरोजगार की विपुल संभावनाएं हैं। आधुनिक डेयरी तकनीक से डेयरी उत्पादों की बड़े पैमाने पर विपणन की संभावनाएं बढ़ गयी हैं। पशुपालकों, विशेष रूप से युवा पशुपालकों को पशुधन व डेयरी विकास से जोड़कर रोजगार के नये अवसर सृजित किये जायेंगे। पशुधन के लिये आसान दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के साथ ही लघु एवं सीमांत किसानों के पशुओं को निःशुल्क बीमा व उपचार उपलब्ध करवाया जायेगा। मत्स्य पालन व मुर्गी पालन को प्रोत्साहित करने के साथ ही देशी गोवंशीय नस्लों के संरक्षण कार्यक्रम की समीक्षा कर उसे गति प्रदान की जायेगी।

20. गाय का हमारी संस्कृति में विशेष महत्त्व है। इसे ध्यान में रखते हुये गोशालाओं में शेड, पेयजल एवं चारे के साथ ही चिकित्सा के लिये समुचित कार्यवाही की जायेगी। निराश्रित गोवंश के कारण उत्पन्न समस्याओं के निस्तारण के लिये उचित व्यवस्था की जायेगी।

21. प्रदेश में किसान आयोग का पुनर्गठन कर आयोग के माध्यम से किसानों के समक्ष आने वाली सभी

परेशानियों को दूर किया जायेगा। खेतों में फूड प्रोसेसिंग एवं एग्रो संवर्द्धित इकाइयां लगाने वाले किसानों को 10 हेक्टेयर तक जमीन का कृषि भूमि रूपान्तरण कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

22. राज्य सरकार ने अगले पांच साल तक किसानों के कृषि विद्युत कनेक्शन पर बिजली के दाम नहीं बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। विनियामक आयोग द्वारा दरों में वृद्धि करने पर समस्त भार राज्य सरकार वहन करेगी। इसके लिये आगामी पांच वर्षों में लगभग 12 हजार 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। साथ ही प्रदेश में फरवरी, 2012 तक डिमाण्ड नोट जमा करा चुके लगभग 1 लाख किसानों को जून, 2019 तक कृषि कनेक्शन जारी करने के लिये व्यापक तैयारियां कर ली गयी हैं। मार्च, 2019 तक शेष रहे लगभग ढाई लाख ग्रामीण घरेलू आवासों को भी आगामी समय में विद्युतीकृत किया जायेगा।

23. न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों की उपज को खरीदने के पश्चात् भुगतान करने के लिये केन्द्र

सरकार द्वारा समय पर धनराशि रिलीज नहीं करने पर राजफेड द्वारा एक हजार करोड़ रुपये का ऋण लेकर किसानों का बकाया भुगतान अविलम्ब किया जायेगा। रबी में चने, मूंग और सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जाएगी।

24. संविदाकर्मियों एवं अन्य कार्मिकों की समस्याओं के समाधान हेतु और विगत 6 माह में गत सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों की समीक्षा के लिये राज्य सरकार ने अलग–अलग मंत्री स्तरीय समितियों का गठन किया है।

माननीय सदस्यगण,

25. अपनी पहली ही बैठक में राज्य मंत्रिमण्डल ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इस निर्णय के अनुसार 75 वर्ष से कम आयु के वृद्धावस्था पेंशनर को अब 500 रुपये के स्थान पर 750 रुपये तथा 75 वर्ष एवं इससे अधिक आयु के वृद्धावस्था पेंशनर को 750 रुपये के स्थान पर एक हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन प्राप्त होगी। यह निर्णय 1 जनवरी, 2019 से ही लागू किया जा रहा है। इससे राज्य सरकार पर

लगभग 1300 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार पड़ेगा।

26. गत सरकार द्वारा दुर्भावनापूर्ण तरीके से डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय एवं श्री हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय को बन्द करना दुर्भाग्यपूर्ण था, राज्य मंत्रिमण्डल एवं मंत्रिपरिषद् की पहली बैठक में इन्हें पुनः प्रारम्भ करने का फैसला किया गया। इन विश्वविद्यालयों के प्रारम्भ होने से प्रदेश में विधि एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में कुशल कर्मियों की उपलब्धता बढ़ेगी।

27. वर्तमान में लोक सभा एवं विधान सभा के सदस्यों के चुनाव हेतु कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा पंचायतीराज एवं स्थानीय निकाय चुनाव में भी शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान समाप्त करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस प्रावधान को समाप्त करने से समस्त नागरिकों को पंचायतीराज संस्थाओं और स्थानीय निकायों में चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त होगा। साथ ही स्थानीय निकायों के मुखिया के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से

करवाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से लोकतांत्रिक प्रक्रिया और सुदृढ़ होगी तथा दल–बदल जैसी घटनाओं पर विराम लगेगा।

28. वर्ष 2008–13 के कार्यकाल में राज्य सरकार ने रिफाइनरी स्थापना के लिए भगीरथी प्रयास कर भारत सरकार के उपक्रम हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ ज्वाइन्ट वेंचर कम्पनी एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड का गठन किया था, फिर भी गत सरकार इसमें भी पूर्ववर्ती सरकार की मात्र कमियां ही ढूंढती रही। फलस्वरूप प्रदेश में निवेश के वातावरण को धक्का पहुंचा और राज्य विकास के मायनों में कई वर्ष पिछड़ गया। वर्तमान सरकार द्वारा बाड़मेर के पचपदरा में रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल कॉम्पलेक्स के कार्यों को गति प्रदान कर रिफाइनरी से सम्बन्धित उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जायेगा। इस रिफाइनरी को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के साथ ही दूरगामी सोच के साथ शहरी व औद्योगिक विकास की एकीकृत योजना लागू कर इस क्षेत्र का संतुलित व समुचित विकास किया जायेगा।

29. राज्य सरकार ने आम जनता की समस्याओं को दूर करने के लिये प्रभावी जनसुनवाई सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 तथा राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 का साथ–साथ उपयोग कर, शासन में आमजन की सुनवाई को सुनिश्चित किया जायेगा।

30. राज्य सरकार के सभी मंत्रीगण जयपुर में रहने के दौरान अपने आवास पर प्रतिदिन प्रातः एक घंटे जनसुनवाई करेंगे। जनसुनवाई के दौरान विभिन्न विभागों से सम्बन्धित जनसमस्याओं का उचित निराकरण भी सुनिश्चित किया जायेगा।

31. प्रदेश में सहकारिता आंदोलन के माध्यम से किसानों, पशुपालकों और कामगार वर्गों को राहत पहुंचायी जायेगी। अनाज के भण्डारण, प्रबंधन व वितरण का कार्य सहकारी समितियों के माध्यम से पारदर्शी एवं जवाबदेही के साथ और अधिक व्यापक रूप से करवाने के प्रयास किये जायेंगे। फल व सब्जियों का विक्रय सहकारी संस्थाओं के माध्यम से करवाने की योजना है। सहकारी क्षेत्र के बैंकों को मजबूत बनाने

के साथ ही उनके कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं का सकारात्मक दृष्टिकोण से समाधान किया जायेगा।

माननीय सदस्यगण,

32. पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी की पहल पर हुये 73वें संविधान संशोधन की मंशा के अनुरूप सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर पंचायती राज को और अधिक मजबूत बनाया जायेगा। गांव में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये गांवों की सड़कों व ड्रेनेज सिस्टम का समुचित प्रबंधन किया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिये ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहित किया जायेगा। बेहतर सूचना तंत्र के लिये प्रत्येक ग्राम पंचायत को इंटरनेट व वाई–फाई से जोड़कर सुदृढ़ किया जायेगा।

33. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को प्रभावी, पारदर्शी एवं जवाबदेही व्यवस्था के साथ लागू कर रोजगार के अवसर सृजित किये जायेंगे तथा समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा। मनरेगा के

तहत कृषि एवं भूमि विकास कार्यों के साथ–साथ औषधीय खेती को बढ़ावा दिया जायेगा।

34. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत मार्च 2019 तक 2 लाख 13 हजार परिवारों को लाभान्वित किया जायेगा। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में 17 हजार 324 कार्य प्रगतिरत हैं। इन कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करवाया जायेगा।

35. प्रदेश में सिंचाई के लिये सीमित जल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए बेहतर जल प्रबंधन से सम्बन्धित नवाचार कर सिंचाई तंत्र का विस्तार किया जायेगा। प्रदेश की सभी नहरों व वितरिकाओं के जाल को सुदृढ़ करने के साथ ही ड्रिप एवं फव्वारा सिंचाई पद्धति को विकसित करने पर बल दिया जायेगा।

36. राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियां पेयजल के लिये सदैव चुनौतीपूर्ण रही हैं। सभी शहरों, कस्बों, गांवों एवं ढाणियों तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिये दूरगामी सोच के साथ सतही जल पर आधारित समुचित पेयजल प्रबंधन किया जायेगा।

पूर्व में प्रारंभ की गयी योजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने के साथ पेयजल गुणवत्ता से प्रभावित बस्तियों एवं ढाणियों में आर.ओ. प्लांट एवं डी–फ्लोराइडेशन यूनिट्स स्थापित कर राहत प्रदान की जायेगी। सभी लम्बित लिफ्ट पेयजल परियोजनाओं के कार्यों को गति प्रदान कर यथासमय पूर्ण करवाया जायेगा। गिरते भू–जल स्तर को संरक्षित करने के साथ ही अत्यधिक दोहन से ग्रस्त डार्क जोन क्षेत्रों का पुनः सर्वेक्षण करवाकर भूजल का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा।

37. राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों में निर्बाध गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये व्यापक योजना बनाकर कार्यवाही की जायेगी। राज्य को विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिये वर्ष 2009 से 2013 की अवधि में राज्य की उत्पादन क्षमता में 7 हजार 314 मेगावाट (4 हजार 812 मेगावाट परम्परागत स्रोत एवं 2 हजार 502 मेगावाट गैर परम्परागत स्रोत) की वृद्धि की गयी एवं 7 हजार 750 मेगावाट क्षमता की नयी परियोजनाओं की स्वीकृति जारी कर 2 हजार 800 मेगावाट

(2X660 मेगावाट छबड़ा, 2X660 मेगावाट सूरतगढ़ एवं 160 मेगावाट रामगढ़) की परियोजनाओं का कार्य प्रारम्भ किया गया। गत 5 वर्षों में इन परियोजनाओं में से केवल छबड़ा की 660 मेगावाट की एक इकाई का कार्य ही पूर्ण किया गया। वर्ष 2009 से 2013 की अवधि में स्वीकृत 4 हजार 950 मेगावाट की परियोजनाओं पर गत 5 वर्षों में कोई प्रगति नहीं हुयी है।

38. राज्य में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाओं को देखते हुए वर्ष 2011 में जारी राज्य की प्रथम सौर ऊर्जा नीति एवं वर्ष 2012 में पुनः जारी पवन ऊर्जा नीति से राज्य में ऊर्जा के विकास को गति मिली है। गत सरकार के कार्यकाल के दौरान आयी कठिनाइयों को दूर कर गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

39. वर्ष 2013–14 में राजस्थान के वितरण निगमों का कुल संचयी घाटा 77 हजार 453 करोड़ रुपये था। सरकार द्वारा उदय योजना के तहत 32 हजार 700 करोड़ रुपये के घाटे के अधिग्रहण एवं विद्युत दरों में 26 प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद भी वर्ष 2017–18 के अंत में वितरण निगमों का कुल संचयी

घाटा बढ़कर 92 हजार 460 करोड़ हो गया है। अतः वितरण निगमों की वित्तीय स्थिति के सुदृढ़ीकरण हेतु गंभीर प्रयासों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

40. क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के सबसे बड़े प्रदेश राजस्थान में सड़क तंत्र को सुदृढ़ व विकसित बनाकर सुदूर स्थानों तक सुगम पहुंच बनाई जायेगी। सड़कों के रखरखाव पर विशेष ध्यान देने के साथ ही नयी सड़कों का निर्माण करवाकर गांवों एवं ढाणियों को सड़कों से जोड़ा जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों के मिसिंग लिंक्स को प्राथमिकता से जोड़कर सम्पर्क सड़कों का जाल बिछाया जायेगा।

41. आमजन को उचित दर पर व्यवस्थित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिये राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की सेवायें यथावत जारी रहेंगी। प्रदेश के परिवहन तंत्र को और अधिक मजबूत करने के लिये भी आवश्यक कदम उठाये जायेंगे। जयपुर के सिंधी कैम्प बस स्टैण्ड के अधूरे निर्माण कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण करवाया जाएगा।

42. स्वस्थ राजस्थान के निर्माण हेतु गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध करवाने के लिये हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सक एवं अन्य चिकित्सा कर्मियों के रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरने की कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी।

43. मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना को प्रभावशाली ढंग से लागू करते हुए आवश्यक दवा सूची में सम्मिलित दवाइयों की संख्या को बढ़ाने के साथ ही सर्जिकल आइटम इत्यादि की संख्या को भी बढ़ाया जायेगा। निःशुल्क जांच योजना के दायरे को बढ़ाकर इसे अधिक व्यापक एवं प्रभावी ढंग से लागू किया जायेगा।

44. जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त राजकीय अस्पतालों में प्रसूति सेवायें प्रदान करने की प्रभावी कार्यवाही की जायेगी एवं आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवाकर प्रसव कक्षों को सुसज्जित किया जायेगा। महिलाओं एवं शिशुओं में खून की कमी की पहचान कर उपचार के लिये विशेष कार्यक्रम चलाया जायेगा।

45. विशेष अभियान चलाकर टीकाकरण से वंचित बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण सुनिश्चित किया जायेगा। प्रसवपूर्व लिंग परीक्षण की रोकथाम के लिये पीसीपीएनडीटी एक्ट की सख्ती से पालना करवायी जायेगी। पूर्व की भांति ''पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ, वृक्ष लगाओ, बेटी बचाओ'' नारे के अनुरूप जन सहभागिता के साथ अभियान चलाया जायेगा।

46. दुर्घटनाग्रस्त व गंभीर रोगियों को तत्काल उपचार उपलब्ध करवाने के लिये 108 एम्बुलेंस की संख्या में वृद्धि कर इन सेवाओं को सुदृढ़ किया जायेगा। प्रदेश के प्रमुख राज्य मार्गों पर एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित कर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को यथाशीघ्र उपचार उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जायेगा। प्रदेश के शेष रहे सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे।

47. राजकीय क्षेत्र में नये मेडिकल कॉलेजों को पूर्ण क्षमता के साथ विकसित कर चिकित्सा शिक्षा का प्रसार किया जायेगा। इन मेडिकल कॉलेजों के अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सा सेवायें भी उपलब्ध करवायी जायेंगी। स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर सीटों की संख्या में

वृद्धि के साथ ही चिकित्सा क्षेत्र में अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा दिया जायेगा।

48. विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवायें सुदूर क्षेत्रों में टेलिमेडिसिन सेवा के माध्यम से सुलभ करायी जायेगी। राजस्थान को मेडिकल ट्यूरिज्म के हब के रूप में विकसित करने के प्रयास किये जायेंगे। दवाओं तथा चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन में बढ़ोतरी हेतु नीति बनायी जायेगी।

49. भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद, होम्योपेथिक एवं यूनानी चिकित्सा के विस्तार के लिये विशेष कार्य योजना बनायी जायेगी। प्रदेश में सभी के लिये आरोग्यता के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिये योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा को विशेष महत्त्व के साथ इस क्षेत्र को बढ़ावा दिया जायेगा।

50. मौसमी बीमारियों, दीर्घकालीन बीमारियों तथा नशीले पदार्थों के सेवन से उत्पन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी गंभीर समस्याओं से निपटने के लिये समन्वित कार्य योजना बनायी जायेगी। इस दिशा में आम नागरिकों विशेषरूप से नयी पीढ़ी को स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में

जागरूक बनाने के लिये विद्यालयों के पाठ्यक्रम में उपयोगी जानकारी दी जायेगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग इस सम्बन्ध में शिक्षा विभाग के सहयोग से पाठ्य पुस्तकों में अध्याय जुड़वाने के लिये आवश्यक कार्यवाही करेगा।

माननीय सदस्यगण,

51. प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना को सभी वर्गों के पात्रताधारियों के लिये प्रभावी ढंग से लागू किया जायेगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सरल, आधुनिक एवं प्रभावी बनाने के साथ ही राशन की दुकानों की संख्या में वृद्धि की जायेगी।

52. शिक्षित समाज द्वारा ही विकसित प्रदेश की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है। प्रदेश का भविष्य उज्ज्वल बनाने के लिये नयी शिक्षा व्यवस्था बनाकर समस्त बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

53. प्रदेश में बंद किये गये स्कूलों की समीक्षा कर उन्हें खोलने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। विद्यार्थियों के अनुपात में कक्षावर्ग का निर्धारण,

विद्यालयों में आधारभूत संरचना का विकास और शिक्षकों का पदस्थापन किया जायेगा। विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए समय–सारणी की समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। स्कूलों में मिड–डे–मील बनाने वाले कर्मियों के मानदेय की भी समीक्षा की जायेगी।

54. संस्कृत भाषा हमारी संस्कृति का आधार मानी जाती है। संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहित किया जायेगा।

55. प्रदेश में तकनीकी शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन देकर युवाओं के कौशल संवर्द्धन पर विशेष बल दिया जायेगा। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु मार्गदर्शन के लिये स्टूडेंट एडवाइजरी एवं गाइडेंस ब्यूरो खोले जायेंगे।

56. प्रदेश के विभिन्न अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को निजी क्षेत्र में औद्योगिक प्रशिक्षण व प्लेसमेंट को बढ़ावा देने के लिये राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा द्वारा जयपुर में एक नोडल सेंटर स्थापित किया जायेगा।

57. प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सुलभ कराने के लिये कॉर्पोरेट व शैक्षणिक

संस्थाओं के मध्य समन्वय स्थापित कर शैक्षणिक संस्थानों में ऐसे पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जायेंगे, जिनसे उन्हें कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी के पर्याप्त अवसर मिल सकें। शिक्षित बेरोजगार युवाओं का कौशल विकास कर स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध करवाकर तथा उद्योग–धन्धे स्थापित करवाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जायेगा।

58. राज्य सरकार द्वारा आईटीआई कर रहे प्रशिक्षुओं के रोजगार अवसर बढ़ाने के लिये अंग्रेजी बोलने एवं सॉफ्ट स्किल्स सुधार के कोर्सेज करवाये जायेंगे। राज्य में आर.एस.एल.डी.सी. के माध्यम से संचालित 430 प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा सुलभ करवायी जायेगी। निर्माण श्रमिक कल्याण की योजनाओं को सुसंगत बनाकर पात्र व्यक्तियों को इसका लाभ उपलब्ध करवाया जायेगा। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों एवं मजदूरों आदि के कल्याण के लिये मजदूर एवं कामगार कल्याण बोर्ड को सशक्त बनाया जायेगा।

59. पूर्ववर्ती सरकार ने विभिन्न राजकीय विभागों में स्वीकृत पद रिक्त होने के बावजूद उनको भरने में

लापरवाही की। प्रदेश के अनेक राजकीय विभागों में स्वीकृत, लम्बे समय से रिक्त पड़े इन पदों को यथाशीघ्र भरने की कार्यवाही की जायेगी।

माननीय सदस्यगण,

60. उद्योग–धंधे न सिर्फ रोजगार सृजित करते हैं बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी खुशहाल बनाते हैं। सरकार का प्रयास है कि राजस्थान औद्योगिक विकास में देश का अग्रणी राज्य बने। सम्पूर्ण प्रदेश में उद्योगों के संतुलित विकास के लिये एक नयी औद्योगिक नीति बनाकर उद्योगों के विकास पर बल दिया जायेगा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

61. राजस्थान के औद्योगिक विकास में आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देकर नयी औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात करने की दिशा में सार्थक कदम उठाये जायेंगे। राज्य में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये सिंगल विन्डो सिस्टम को सुदृढ़ किया जायेगा। संभागीय स्तरों पर व्यापारिक प्रदर्शनी एवं मेलों के लिये जगह चिन्हित कर उनके आयोजन के लिये अनुकूल वातावरण बनाया जायेगा।

62. औद्योगिक परिसरों से निकलने वाला दूषित जल पर्यावरण की दृष्टि से अत्यन्त हानिकारक होता है। उद्योगों से निकलने वाले इस दूषित जल का उचित प्रबंधन करने के साथ ही औद्योगिक परिसरों में वर्षा जल संरक्षण को प्रोत्साहित किया जायेगा।

63. ग्रामीण उद्योगों जैसे– खादी, हस्तशिल्प, टेराकोटा, चर्म उद्योग, ग्रामीण पर्यटन इत्यादि को बढ़ावा देकर इनके उत्पादों के विपणन की समुचित व्यवस्था की जायेगी। प्रशिक्षित बेरोजगारों, कुशल श्रमिकों, दस्तकारों व हस्तशिल्पियों को आसान दरों पर ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा।

64. राजस्थान के हस्तशिल्प और कला को प्रोत्साहित करने के लिये परंपरागत रूप में निर्मित वस्तुओं को वस्तु एवं सेवा कर मुक्त करने के साथ ही प्रक्रिया सरलीकरण एवं इनको प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक प्रावधान किये जायेंगे। उपयुक्त नीतियों का निर्धारण कर छोटे एवं खुदरा व्यापारियों के हितों की रक्षा की जायेगी। राजस्व आसूचना निदेशालय को सशक्त बनाया जायेगा। पेपरलेस पंजीयन की व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जायेगा।

65. प्रदेश से अनेक वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। निर्यातकों की सुविधा के लिये राजस्थान वस्तु निर्यात संवर्द्धन परिषद् का गठन किया जायेगा। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्र अपने उत्पादों के लिये विख्यात हैं। क्षेत्र विशेष के उत्पादों एवं विपणन को प्रोत्साहित करने के लिये क्लस्टर डवलपमेंट पर विशेष बल दिया जायेगा।

66. खनिजों की दृष्टि से राजस्थान एक समृद्ध प्रदेश है। राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं और इनमें से 57 प्रकार के खनिजों का खनन किया जा रहा है। वर्तमान खनिज नीति की समीक्षा कर नयी खनिज नीति का निर्धारण किया जायेगा। खनिज सम्बन्धित उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये विशेष कार्यवाही की जायेगी। विगत वर्षों में अवैध बजरी खनन से आम जनता को जिस परेशानी का सामना करना पड़ा है, उसे हल करने के प्रयास किये जायेंगे। खनिज बजरी की खातेदारी भूमि में 4 हेक्टेयर तक के खनन पट्टे सम्बन्धित खातेदार को आवंटित करने की कार्यवाही की जा रही है। साथ ही खनिज बजरी के विकल्प के रूप में

मेन्यूफेक्चर्ड सेण्ड की इकाइयों को प्रोत्साहन देने के लिये पृथक् से एम–सेण्ड पॉलिसी बनायी जायेगी।

67. प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में सार्थक प्रयास किये जायेंगे। सीएनजी वाहनों के उपयोग की नीति बनाकर प्रदूषण नियंत्रण के प्रयास किये जायेंगे। प्रदेश के 26 जिलों में सतत परिवेशी वायु प्रबोधन केन्द्र स्थापित करने के प्रयास किये जायेंगे।

68. प्रदेश में सघन वृक्षारोपण करने के लिये आगामी वर्षा ऋतु में 15 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण करवाया जायेगा एवं कृषि वानिकी के तहत एक करोड़ पौधे वितरित किये जायेंगे। बीकानेर के मरूधरा बायोलॉजिकल पार्क व कोटा के अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क के कार्य के साथ ही बारां के वन क्षेत्र सोरसन में गोडावण प्रजनन केन्द्र का कार्य भी शीघ्र पूर्ण करवाया जायेगा।

माननीय सदस्यगण,

69. प्रदेश की शहरी जनसंख्या में लगातार वृद्धि को ध्यान में रखते हुये शहरी आधारभूत ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। आवासविहीन निर्धन

परिवारों को कम लागत पर आवास उपलब्ध कराने की प्रभावी रूपरेखा बनायी जा रही है। अग्निकांड में होने वाली जान–माल की क्षति को रोकने के लिये अग्निशमन सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा। साथ ही आमजन की सुविधा हेतु शहरी पर्यावरण को सहजने के साथ ही ठोस कचरा प्रबंधन, बगीचे, खेल मैदान, पार्किंग आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

70. वर्तमान सरकार लगातार बढ़ रहे शहरीकरण से उत्पन्न हो रही समस्याओं को दूर करने की कार्य योजना बनायेगी। इस कार्य योजना में क्षेत्रीय विकेन्द्रीकरण व जनसहभागिता पर विशेष बल दिया जायेगा। इसके लिये नगर नियोजन अधिनियमों, नगर पालिका कानूनों, भवन निर्माण नियमों–उपनियमों एवं भू–उपयोग परिवर्तन मानकों को वर्तमान समय की आवश्यकतानुसार परिवर्तित किया जायेगा। आवासन मण्डल को शहरी क्षेत्र के सभी वर्गों के लिये आवासीय परियोजनाओं हेतु भूमि उपलब्ध करवायी जायेगी। कच्ची बस्तियों में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध करवाकर प्रदेश को स्लम–फ्री करने की दिशा में सार्थक प्रयास किये जायेंगे।

71. प्रदेश में खेल का वातावरण एवं आधारभूत खेल संरचना विकसित करने के लिये नयी खेल नीति बनायी जायेगी। वार्षिक युवा उत्सवों का आयोजन कर जिला स्तर पर खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान किया जायेगा। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में खेल परिसरों का निर्माण करवाकर खिलाड़ियों को आवश्यक सुविधायें सुलभ करायी जायेगी तथा ग्रामीण खेलकूद गतिविधियों का आयोजन कर ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को तराशा जायेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर भूमि की उपलब्धता के आधार पर खेल मैदानों के लिये भूमि आरक्षित की जायेगी।

72. राजस्थान एक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक सम्पदा से परिपूर्ण राज्य है। यहां के ऐतिहासिक किलों, स्मारकों तथा संस्कृति के विविध रंग देखने के लिये विश्व भर से पर्यटक आते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये नयी पर्यटन नीति, राज्य में पर्यटन के आधारभूत ढांचे का विकास, नये पर्यटन स्थलों का विकास, पर्यटकों की सुरक्षा हेतु पर्यटन–पुलिस, पर्यटन एवं धार्मिक आस्था के स्थलों को जोड़ने वाली सड़कों के

सुदृढ़ीकरण एवं होटल व्यवसाय को प्रोत्साहित किया जायेगा।

73. राजस्थान अपने थार रेगिस्तान के लिये विख्यात है। रेगिस्तानी इलाकों में जन सुविधाओं और योजनाओं का पूरा लाभ पहुंचाये जाने की महती आवश्यकता है। इन क्षेत्रों के विकास के लिये कार्यक्रम संचालित किया जायेगा एवं रेगिस्तानी क्षेत्रों में रहने वालों के जीवन स्तर को बेहतर बनाया जायेगा।

74. प्रदेश के असंगठित एवं अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं की सुरक्षा के लिये कार्ययोजना तैयार की जाएगी। महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से उन्हें व्यवसाय करने के लिये आसान दरों पर ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा।

75. जनजाति क्षेत्रीय विकास गतिविधियों के तहत प्रदेश में वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत वन क्षेत्र में निवास कर रहे जनजाति समुदाय को वनाधिकार पत्र जारी करने की प्रक्रिया को 28 फरवरी, 2019 तक सरल व ऑनलाइन किया जायेगा। निरस्त आवेदनों के अपील सम्बन्धी प्रकरणों के निस्तारण के लिए व्यापक अभियान चलाया जायेगा। जनजाति

की 10वीं व 12वीं कक्षा में 65 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली 3 हजार छात्राओं को स्कूटी वितरित की जायेगी। 31 मार्च, 2019 तक 30 नये मां–बाड़ी केन्द्र प्रारम्भ किये जायेंगे।

76. बाल श्रम की रोकथाम एवं बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई के सम्बन्ध में जनसमुदाय की सक्रिय सहभागिता पर बल देने के साथ ही इन पर प्रतिबन्ध के लिये बनाये गये कानूनों की सख्ती से पालना करवायी जायेगी। बच्चों में कुपोषण की समस्या के समाधान हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग, चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग तथा प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से सामूहिक प्रयास किये जायेंगे। अनाथ एवं बेसहारा बच्चों के पालन–पोषण एवं शिक्षा की विशेष व्यवस्था की जायेगी। बाल भिक्षावृत्ति का उन्मूलन कर भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों के पुनर्वास एवं शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी।

77. वर्ष 2009 से 2013 के दौरान अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण के लिए जो योजनायें संचालित की गयी थी, पूर्ववर्ती सरकार ने न केवल उनके क्रियान्वयन

में घोर उपेक्षा की, अपितु इनके स्वरूप में भी बदलाव किया। अल्पसंख्यक वर्ग की समस्याओं के समाधान के लिये आवश्यक रूपरेखा बनायी जायेगी। प्रदेश के अल्पसंख्यक वर्ग के हित के लिये अनेक योजनायें संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिये विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया जायेगा। अल्पसंख्यक वर्ग की मेधावी छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान कर उन्हें उच्च अध्ययन के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा। प्री–मेट्रिक व पोस्ट–मेट्रिक छात्रवृत्ति, स्वरोजगार हेतु ऋण आदि योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जायेगा।

78. वीरभूमि राजस्थान से देश की रक्षा के लिये बड़ी संख्या में नौजवान सेना में शामिल होते हैं। ऐसे युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये शेखावाटी सहित राज्य के अन्य क्षेत्रों में भारतीय सैनिक बलों और अर्द्ध सैनिक बलों में भर्ती के लिये प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायेंगे।

79. राजस्थान के अनेक सपूतों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिये अपने प्राण न्योछावर किये हैं। प्रदेश के इन शहीदों की शहादत का सम्मान किया

जायेगा। शहीदों के सम्मान स्वरूप निर्धारित सभी कार्य तत्परता से करवाये जायेंगे। शेष जिला मुख्यालयों पर शहीद स्मारक बनाने की कार्यवाही की जायेगी। पूर्व सैनिकों को देय आवश्यक सुविधायें सुलभ कराने का प्रयास किया जायेगा।

80. स्वतंत्रता सेनानी हमारे राष्ट्रीय गौरव हैं। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को उचित सम्मान देने के साथ ही उन्हें प्रदत्त सुविधायें उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

81. सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा ई–मित्र तथा ई–मित्र प्लस नेटवर्क का विस्तार किया जायेगा। नागरिकों को ई–मित्र तथा ई–मित्र प्लस द्वारा इलेक्ट्रोनिक माध्यम से उपलब्ध करवायी जाने वाली सेवाओं में 25 नयी सेवाएं जोड़ी जायेंगी। निर्बाध रूप से इन्टरनेट सेवायें सुलभ करवाने के लिये एक हजार नये स्थानों पर वाई–फाई की सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी। जयपुर में स्टार्टअप्स के लिये खुले इन्क्यूबेटर सेन्टर की तर्ज पर जोधपुर में भी विश्वस्तरीय इन्क्यूबेटर की स्थापना की जायेगी। बैंक रहित ग्राम पंचायतों में नये एटीएम

खोलने के साथ ही नये बैंकिंग कॉरसपोन्डेन्ट्स बनाये जायेंगे।

82. कमजोर कानून–व्यवस्था एवं भय व आंतक के वातावरण को समाप्त करने के लिये राज्य की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ कर आमजन में विश्वास कायम करने के विशेष प्रयास किये जायेंगे। पुलिस को पब्लिक फ्रेंडली बनाकर आमजन के साथ सकारात्मक संवाद स्थापित किया जायेगा एवं जनसामान्य की सुरक्षा सुनिश्चित कर उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान किया जायेगा।

83. महिलाओं, बच्चों व कमजोर वर्गों के विरुद्ध अपराधों पर प्रभावी नियन्त्रण स्थापित कर उनकी सुरक्षा हेतु विशेष कार्य–योजना बनायी जायेगी। साथ ही पुलिसकर्मियों के सम्मान एवं स्वाभिमान के रक्षार्थ पुलिस कल्याण से सम्बन्धित कार्यवाही प्रारम्भ करने की भी योजना है।

माननीय सदस्यगण,

84. सड़क दुर्घटनाओं के कारण अनेक लोगों की अकाल मौत हो जाती है और उनके परिवारों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिये आवश्यक कार्यवाही

प्रारंभ कर मृतकों की संख्या में कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

85. प्रदेश में अमन, चैन, भाईचारा और शांति बनाये रखने के लिये साम्प्रदायिकता, वैमनस्यता एवं धार्मिक उन्माद फैलाने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टोलरेंस के सिद्धान्त पर कार्य किया जायेगा।

86. लोककल्याण एवं लोकहित की भावना हम सभी के लिये सर्वोच्च है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी के ज्ञान और विवेक से हम सशक्त एवं समृद्ध राजस्थान के निर्माण के लक्ष्य को अर्जित करने के लिये ठोस रूपरेखा बनायेंगे। प्रदेश के विकास के लिये पक्ष–विपक्ष सभी का रचनात्मक सहयोग अपेक्षित है।

87. राज्य सरकार इस सत्र में राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2019 को सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करेगी।

88. महात्मा गांधी ने कहा था–

''मैं तुम्हें एक जन्तर देता हूं। जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहम् तुम पर हावी होने लगे, तो यह कसौटी आजमाओ :

जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा हो, उसकी शकल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो, वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या उससे उसे कुछ लाभ पहुंचेगा? क्या उससे वह अपने ही जीवन और भाग्य पर कुछ काबू रख सकेगा? यानी क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज्य मिल सकेगा, जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है?

तब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है और अहम् समाप्त होता जा रहा है।''

89. हमारी सरकार महात्मा गांधी के इसी चिन्तन पर अमल करते हुये अपने प्रयासों से प्रदेश के गरीब और असहाय व्यक्ति की मदद के लिये कार्य करेगी।

90. मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी नयी सरकार जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुये भय, भूख, भ्रष्टाचार, अपराध एवं वैमनस्यमुक्त सुशासन की स्थापना में सफल होगी।

इस सदन के लिये चुने गये सभी प्रतिनिधियों का मैं पुनः अभिनंदन करता हूं और उन्हें जनता की सेवा के लिये शुभकामनाएं देता हूं।

जय हिन्द!

.....